राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–4 / 2019 दायर दिनांक–21.02.2019

**पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

––––प्रार्थी

**बनाम**

1. नन्दकिशोर सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कोलाडुंगरी, तहसील मकराना, जिला–नागौर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कोलाडुंगरी, तहसील मकराना, जिला–नागौर।

––––अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** दिनांक–01.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम जाजोता, पटवार हल्का जाजोता, भू. अ. नि. क्षेत्र भदूण तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में कृषि भूमि खसरा नं. 576 रकबा 42–00 बीघा किस्म बंजर–2 भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नन्दकिशोर सिंह पुत्र नाहरसिंह हि0 1/2 व समुन्द्र सिंह पुत्र नाहरसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत निवासी–कोलाडुगरी, तहसील मकराना, जिला–नागौर के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 164 पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपनगढ भूमिधारक है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमिधारक से अप्रार्थीगण ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थीगण अन्य कोई अकृषि कार्य नही करते है। अप्रार्थीगण अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। पटवारी हल्का जाजोता ने दिनांक–11.02.2019 को एक रिपोर्ट मय मौका पर्चा के प्रार्थी को प्रस्तुत की कि ग्राम जाजोता के खसरा नं. 576 रकबा 42–00 बीघा में से 16–00 बीघा भूमि पर अवैध रुप से बजरी खनन कार्य से बडे–बडे खड्डे खुदे हुए है अर्थात् पूर्व में अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया है। पटवारी हल्का जाजोता की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर मे मौके पर पाये गये बड़े–बड़े गड्डे भूमि सुधार कार्य अन्तर्गत नही पाये गये। उक्त खड्डे उक्त खसरा नम्बर की 16–00 बीघा भूमि में पूर्व में अवैध बजरी खनन से हुए है एवं उक्त खसरा नम्बर मे उक्त 16–00 बीघा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य कर अवैध रुप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थीगण का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण को यह अधिकारी नही है कि बिना सक्षम स्वीकृति के वह कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य कर भूमि के स्वरुप को बदलेंगे अथवा भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा वाद अधीन भूमि खसरा नं. 576 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

42–00 बीघा में से 16–00 बीघा भूमि अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने से नियमानुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को भूमिधारक के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्ति बाबत् प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक–11.02.2019 को पटवारी हल्का जाजोता द्वारा मौका पर्चा दिनांक–11.02.2019 प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा वाद अधीन भूमि 16–00 बीघा पर अवैध बजरी खनन कार्य करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस (रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक) की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार अप्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु धारित की गई भूमि खसरा नम्बर 576 के दक्षिण दिशा की ओर करीब 20–22 बीघा भूमि कृषि कार्य के उपयोग में आ रही है। अप्रार्थीगण ने उक्त हिस्से में कुंआ खुदवा रखा है जिसमें अभी पानी बहुत कम होने से रबी की फसल काश्त नहीं की है। शेष उत्तर व पश्चिम दिशा की भूमि बालु मिट्टी की श्रेणी में है जिस पर अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ किया है जिस हेतु भूमि सुधार का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 576 की 16 बीघा भूमि में बजरी खनन का कोई कार्य नहीं किया गया है। पटवारी हल्का जाजोता दिनांक–11.02.2019 को मौके पर उपस्थित नहीं हुए है। अप्रार्थीगण ने भूमि के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया है जिसकी शिकायत किसी काश्तकार द्वारा किये जाने के कारण उक्त गलत रिपोर्ट पेश की गई है। खसरा नम्बर 576 की उत्तर दिशा में वर्षा ऋतु के समय नदी के बहाव से भी भूमि का कटाव होता है जिससे वृक्षारोपण द्वारा अप्रार्थीगण रोकने का प्रयास कर रहे है जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वकिल अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु भूमि सुधार कार्य का होना जाहिर किया है एवं प्रकरण के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकल में बजरी खनन का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.25 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested